संख्या- /2021/703/एक-5-2021-74/2019

प्रेषक,

लालू,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 लखनऊ :: दिनांक अक्टूबर, 2021

विषय-जनपद शाहजहांपुर की तहसील कलान के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-126 व 127/12-भवन-88/2016 दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील कलान के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु मानकीकृत लागत रू0 816.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख शासनादेश संख्या-403/एक-5-2020-74/2019 दिनांक 30 मार्च, 2020 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के क्रम में जनपद शाहजहांपुर की तहसील कलान के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु मानकीकृत लागत रू0 816.84 लाख की अवशेष धनराशि रू0 716.84 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात रू0 358.42 लाख शासनादेश संख्या-42/2021/182/एक-5-2021-74/2019 दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा निर्गत की गयी।

2- उक्त के क्रम में जनपद शाहजहांपुर की तहसील कलान के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु मानकीकृत लागत रू0 816.84 लाख में से कुल रू0 458.42 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। अतः अवशेष धनराशि तृतीय किश्त के रूप में रू0 358.42 लाख (रू0 तीन करोड़ अठ्ठावन लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी लोक निर्माण विभाग को उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 के प्रस्तर-2(9)(ड) में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार दो-दो माह की धनराशि निर्गत की जायेगी।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय और इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(6) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नही की जायेगी।

(7) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(8) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त अवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(9) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(11) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021दिनांक 22 मार्च, 2021 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजना के संबंध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयवधि एवं स्वीकृत लागत में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का पुनः कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(14) तहसीलों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु मानकीकरण विषयक शासनादेश दिनांक 04 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-3 के अनुसार निर्माण करते समय निर्धारित स्पेसीफिकेशन में परिवर्तन अथवा वित्तीय अनुमोदन के अतिरिक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा यदि बिना शासन की पूर्वानुमति से कराया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/संस्थाओं का होगा।

(15) अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज राजकोष में जमा किया जायेगा।

(16) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित जेम की व्यवस्था लागू किये जाने से सम्बन्धित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2017 में निहित प्राविधानों एवं क्रय की व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) निर्धारित स्पेसीफिकेशन में परिवर्तन अथवा वित्तीय अनुमोदन के अतिरिक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा यदि बिना शासन की पूर्वानुमति से कराया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/संस्थाओं का होगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लालू)
विशेष सचिव।

संख्या- /2021/703(1)//एक-5-2021-74/2019 :: तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- कोषाधिकारी, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।

7- प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण् विभाग लखनऊ/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, शाहजहांपुर।

8- **श्री राम केवल, विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।**

9- राजस्व अनुभाग-6

10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार यादव)
अनु सचिव।

http://s

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।